(38)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : पं. 6 (18) राज.-6/99/4

जयपुर, दिनांक : 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 90-ख, जैसे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 21) के द्वारा अन्तःस्थापित की गई है, के प्रयोजनार्थ राज्य में पदस्थापित समस्त नायब तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकारों का पर्यवसान (Extenstion) एवं भूमि पुर्नग्रहण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(एल.एन. शर्मा)
शासन उप सचिव

(+30?)

(87)